

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462021

दूरभाष 91-0755-2583659 फ़ैक्स 0755-2583650

ई-मेल dpividhya@yahoo.com

क्र./विद्या/संस्कृत/शिक्षक/वित्तीय सहा/2018/4020-भोपाल, दिनांक 11-10-2018

सितम्बर 2018

3461
12-10-18

अध्यक्ष - हे आचार्य महोदय
कुपुताजी
28/10/18
15/10/18

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त, जिला मध्य प्रदेश।

विषय:-

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के संस्कृत शिक्षकों के वेतन हेतु वित्तीय सहायता योजना।

संदर्भ:-

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का पत्र क्र/RSKS/36010/599/scheme/17-18/S-II/1650, Dated 16/9/2018

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान मानक विश्व विद्यालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 12.09.2018 की छायाप्रति संलग्न है। "शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के संस्कृत शिक्षकों के वेतन हेतु वित्तीय सहायता योजना" के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रस्ताव राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली द्वारा चाहे गये हैं। योजना के मापदण्ड एवं आवेदन का निर्धारित प्रपत्र संस्थान की वेबसाइट www.sanskrit.nic.in पर उपलब्ध है। योजना का विवरण, नियम एवं शर्त आदि निम्नानुसार हैं :-

योजना का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

- 1.1 शासकीय एवं अनुदान प्राप्त हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के संस्कृत शिक्षकों को प्रतिमाह 8,000/-रु वेतन हेतु वित्तीय सहायता दी जायेगी।
- 1.2 यह वित्तीय सहायता हायर सेकेण्डरी स्कूलों के नाम से जारी की जायेगी और उपयोगिता प्रामाण पत्र भी संस्था से ही प्राप्त किया जायेगा।
- 1.3 संस्कृत शिक्षक की नियुक्ति हेतु संस्कृत विषय में स्नातक/स्नातकोत्तर एवं शिक्षक प्रशिक्षण डिप्लोमा आवश्यक होगा।
- 1.4 जिन विद्यालयों संस्कृत शिक्षक के वेतन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा उन प्रस्तावों पर प्रमुख सचिव अथवा सचिव, स्कूल शिक्षा या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुशंसा आवश्यक होगी।
- 1.5 राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले प्रस्तावों का गहन परीक्षण राज्य शासन द्वारा किया जाकर ही अनुशंसा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को भेजी जाये। संस्थान द्वारा गठित कमेटी ही प्रस्तावित संस्था को वित्तीय सहायता स्वीकृत करने की अनुशंसा करेगी।
2. नियम व शर्तें
 - 2.1 प्रतिवर्ष के लिये आवेदन संस्था को आवश्यक रूप से भेजना होगा जिसमें उन्हें अनुदान की मांग का उल्लेख करना आवश्यक होगा।
 - 2.2 हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के आवेदन जिला कलेक्टर के माध्यम से भेजे जाने होंगे।
 - 2.3 संस्था को गत वर्ष दिये गये अनुदान/वित्तीय सहायता राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रेषित करने के पश्चात् ही आगामी वर्ष हेतु वित्तीय सहायता का भुगतान किया जायेगा।

3. अन्य शर्तें


- 3.1 प्रस्ताव के साथ शिक्षक का नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण करने का प्रतिवेदन कि शिक्षक द्वारा किस वर्ष में कार्यभार ग्रहण किया गया है एवं शिक्षक आधार कार्ड, मोबाईल नंबर एवं बैंक एकाउंट नंबर भेजना आवश्यक होगा।
- 3.2 विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की श्रेणीवार सूची भेजना होगी।

आवेदन हेतु निर्धारित प्रपत्र एवं योजना के मापदण्ड संस्थान की बेवसाईट www.sanskrit.nic.in पर उपलब्ध हैं जिसमें प्रदेश के शासकीय एवं अनुदान प्राप्त हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल अपने संस्कृत शिक्षकों के वेतन हेतु वित्तीय सहायता प्रस्ताव जिला कलेक्टर की अनुशंसा पश्चात् इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगे।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के मापदण्डों के आधार पर प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत राज्य शासन की अनुशंसा सहित समस्त वित्तीय सहायता प्रस्ताव राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान मानित विश्वविद्यालय को अग्रेषित किये जायेंगे।

निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश के शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के संस्कृत शिक्षकों के वेतन हेतु वित्तीय सहायता प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

26
(जयश्री कियास्त) 
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पू०क्र./ विद्या/संस्कृत/शिक्षक/वित्तीय सहा/2018/4029- भोपाल, दिनांक सितम्बर 2018
प्रतिलिपि:- 11-10-2018

1. निदेशक, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश।


आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में संचालित)
56-57, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058



RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHA

DEEMED UNIVERSITY

(Established under the Auspices of the Ministry of Human
Resource Development, Govt. of India)
56-57, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi-110058

क्रमांक

Rsk/36010/599/Scheme/2017-18/S-II/1650

दिनांक

Date.....12.09.2018

To,

Education Secretary,
Government of Madhya Pradesh,
Room No.305, School Education Department,
Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal-462004,
Madhya Pradesh

Sub: Financial Assistance for Sanskrit teachers for Secondary/Higher Secondary Schools belongs to State Government Schools.

Sir/Madam,

As you are aware that the Rashtriya Sanskrit Sansthan (Deemed University) is an autonomous organization, established Under Auspices of the Ministry of HRD, Government of India for preservation and propagation and development of Sanskrit language in the country. Besides its academic activities, it functions as a nodal agency to the Ministry of Human Resource Development in formulating and implementing various Central Government plans and schemes for the enrichment, dissemination and development of the Sanskrit Language Literature and culture. Apart from the above, the Govt. of India is promoting Sanskrit Education in Secondary/Higher Secondary Schools belonging to State Govt. through the Central Scheme named - "Financial Assistance for Sanskrit teachers for Secondary/Higher Secondary Schools belongs to State Government Schools".

You are requested to promote and create awareness in your state for promoting Sanskrit education by circulating the details in the Secondary/Higher Secondary Schools belonging to your State.

Name of the Scheme:- Financial Assistance for Sanskrit teachers for Secondary/Higher Secondary Schools belongs to State Government Schools.

Details of the Scheme -

The Sansthan releases advertisement, nationwide in leading newspapers every year in the month of January/February inviting applications for various schemes. Prescribed applications form and norms of the schemes can be downloaded from website of Sansthan i.e. www.sanskrit.nic.in.

Accordingly, for promotion of this scheme your kind cooperation is highly solicited.

This issues as per direction of the component authority.

Yours faithfully

(Prof. Subrahmanya Sarma)
Registrar I/c

(GENERAL ENQUIRY): 28524993, 28524995, 28520977, 28525963, 28521994,
(VC) TEL. 28523949 FAX 011-28521948, (REGISTRAR) TEL. 28520979 FAX: 28520976
(COE) TELEFAX: 2851258, (MSP) TELEFAX: 28523611, (NFSE) TELEFAX: 28524387
Gram : 'SAMSTHAN' e-mail : rsk@nda.vsnl.net.in Website : www.sanskrit.nic.in

- 2 -

Name of the Scheme:- Financial Assistance for Sanskrit teachers for Secondary/Higher Secondary Schools belongs to State Government Schools.

Details of the Scheme:-

- i. Financial Assistance will be given for salary of one Sanskrit teacher (Rs. 8,000/- per month) Government aided High/higher Secondary Schools where the State Governments are not in a position to provide facilities to do so.
- ii. For Sanskrit Teachers in Secondary/Higher Secondary schools belonging to State/Central Government, Account Number in which grant is transferred needs to be endorsed through Institution/School. Utilization Certificate of grant also needs to be endorsed through him.
- iii. A teacher to be appointed under this scheme should be Graduate/Post Graduate degree holder in Sanskrit with a degree/diploma in teaching.
- iv. This application should be recommended by the Principal Secretary, Dept. of Secondary Education or the Officer deputed for the purpose of respective State Government in the prescribed proforma.
- v. The Proposals received from the State Government would be scrutinized and considered by a committee constituted by the Sansthan and then placed before the GIAC and according to the recommendations made by the Committee; funds would be sanctioned by the Sansthan to the Institutions.

Terms & Conditions for renewal of application:-

- (i) Even if it is for renewal, application has to be necessarily made every year, as the grants are demand based.
- (ii) If the applicant institution is of Secondary/Higher Secondary schools, application will be accepted with endorsement by concerned District Magistrate.
- (iii) Utilization Certificate of last financial year in which payment was received.

Other Condition:-

- (1) Appointment letter and Joining Report of the teachers for that year (Aadhar Card, Mobile No. and Account No. of the teachers).
- (2) List of Students for the year (Category Wise).